प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर **दिनांक - 16.08.2026**

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 270/2026 धारा 74/75(1)(i)/115(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित/ प्रकाश में आए 25 हजार के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर , 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल बजाज सीटी 100 रजि0 नं0 UP17 AC 7426 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.26 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त फिलिपकार्ट के डिलीवरी बॉय नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की भतीजी के साथ छेडखानी की व बलात्कार का प्रयास किया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 270/26 धारा- 74/75(1)(i)/115(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 270/2026 धारा 74/75(1)(i)/115(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित / प्रकाश में आए 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त पिंग

पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, उम्र करीब 24

वर्ष को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर , 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल बजाज सीटी 100 रजि0 नं0 UP17 AC 7426 बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- अभियुक्त प्रिंस उपरोक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रिंस पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत। उम्र करीब 24 वर्ष (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,
- 01 अदद मो0सा0 बजाज सीटी 100 रजि0नं0 UP17 AC 7426

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री स्नेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4- है0का0 681 दीपक कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
5- है0का0 402 सुमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
6- है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
7- है0का0 210 दानवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
8- का0 995 अभय प्रताप थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

9-का0 1023 गणेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक 16.08.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 262/26 धारा 137(2) बीएनएस व मु0अ0स0 263/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित दो गुमशुदा लडको को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 262/26 धारा 137(2) बीएनएस व मु0अ0स0 263/26 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित दो गुमशुदा लडको (13 वर्ष व 15 वर्ष) को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री मोहित चौहान।

2-है0का0 289 शैलेन्द्र कुमार।

प्रेस नोट

थाना बालैनी दिनाँक-16.08.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को PCR पर लेकर घटना में प्रयुक्त किया गया अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस बरामद किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2026 को थाना बालैनी पर आवेदक सौरव यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जिला बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 03.07.2026 को वादी के द्वारा रास्ते मे खडी गाडी न0 HR 26 FZ2936 व दो गाडी नम्बर अज्ञात के चालक एवं गाडीयों में सवार अज्ञात व्यक्तियो को रास्ते से गाडी हटाने के लिए होर्न बजाना जिस पर गाडी सवार अज्ञात 10-15 व्यक्तियो द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से घातक हथियार से फायर करना ओर मारपीट के दौरान वादी का मोबाईल वन प्लस व 60 हजार रूपये गुम हो जाना तथा वादी की पत्नी के द्वारा बीच बचाव शोर मचाने पर गाडी लेकर मौके से भाग जाना। इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0स0 83/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

थाना बालैनी जिला बागपत पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त तरूण पुत्र अशोक निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को आज दिनांक 16.08.26 को जिला कारागार बागपत से मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आधार पर जिला कारागार बागपत से PCR पर लेकर अभियुक्त तरूण की निशांदेही पर जंगल डोलचा से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा अवैध .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर पंजीकृत मु0अ0स0 83/26 धारा 191(2),191(3),352,115(2),109(1),126(2),3(5) बीएनएस व बढौत्तरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी कराने वाले अभियुक्त का नाम व पता-

तरुण पुत्र अशोक निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत

2-का0 912 सूरज थाना बालैनी जनपद बागपत

3- कां0 225 धीरज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत

4-का0 204 विकास कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना बालैनी दिनाँक-16.08.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 110/26 धारा 331(6)/351(2)/74 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 110/26 धारा 331(6)/351(2)/74 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त मोनिस को गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनिस पुत्र साजिद निवासी ग्राम मुरादगांव उर्फ रोशनगढ थाना बालैनी जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत

2- है0कां0 432 संजय कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत